कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांकः प्र.म.ले.(ले.प.-II)/प्रशा०/2025-26/Misc.100/e-330857/54 दिनांकः13.05.2025

कार्यालय आदेश

भारत का राजपत्र (भाग-III, खंड-4) दिनांकः 19 मार्च 2025 में यथा प्रकाशित, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन विनियम, 2025 अधिसूचित किया गया है। यह योजना केंद्र सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत शामिल किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप मे है। विस्तृत विवरण वेबसाइट- npscra.nsdl.co.in पर उपलब्ध है। यह योजना 01 अप्रैल 2025 से प्रभावी है। योजना का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है-

1 (i) दिनांक 01 अप्रैल 2025 तक मौजूदा केन्द्र सरकार के कर्मचारी, जो अधिनियम की धारा 20 की उप धारा (1) के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत शामिल है।

(ii) केन्द्र सरकार की सेवाओं मे दिनांक 01 अप्रैल 2025 या उसके बाद शामिल नए भर्ती हुए कार्मिक।

(iii) (क) कोई केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी, जो एनपीएस के अंतर्गत शामिल किया गया था और जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले अधिवर्षिता प्राप्त कर चुका है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुका है, या मौलिक नियम 56 (जे) के तहत सेवानिवृत हुआ है (जो कि केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के तहत शास्ति के रूप में नहीं मानी जाती) या,

(ख) उस अभिदाता के कानूनी रुप से विवाहित पति या पत्नी, जो अधिवर्षित या सेवानिवृत्त हो चुका है और यूपीएस के लिए विकल्प का चयन करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई है

2.(i) यूपीएस के अन्तर्गत शामिल किये जाने के लिए पात्र कर्मचारी द्वारा विकल्प का चयन निम्नानुसार किया जाएगाः-

(क) 01 अप्रैल 2025 से तीन महीने के भीतर या केन्द्र सरकार द्वारा यदि किसी विस्तारित समय सीमा की अनुमति दी जाती है, तो उसके भीतर, उप नियम (1) के खण्ड (i) और खण्ड (iii) के तहत वर्णित व्यक्ति के संबंध में, और

(ख) उप-नियम (1) के उप-खण्ड (ii) के तहत वर्णित व्यक्ति के संबंध में केन्द्र सरकार सेवाओ में शामिल होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर या केन्द्र सरकार द्वारा यदि किसी विस्तारित समय-सीमा की अनुमति दी जाती है, तो उसके भीतर।

2. (ii) **एक बार चुना गया विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा।**

3. यूपीएस के तहत विकल्प का चयन एवं नामांकन हेतुः-

क) कोई केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी, जो 01 अप्रैल 2025 को सेवा में कार्यरत है और एनपीएस में शामिल है, वह यूपीएस विकल्प के तहत नामांकन के लिए अनुसूची 1 के फार्म A-2 में संबन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) को आवेदन प्रस्तुत करेगा, जो इन विनियमों के अनुरूप होगा।

ख) दिनांक 01 अप्रैल 2025 या उसके बाद केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में शामिल होने वाले नए भर्ती कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत मौजूद नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। यदि ऐसा नया भर्ती कर्मचारी एनपीएस के तहत यूपीएस विकल्प चुनता है, तो वह अनुसूची 1 के फार्म ए 1 में संबन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारी(डीडीओ) को आवेदन प्रस्तुत करेगा, जो इन विनियमों के अनुरूप होगा।

(ग) कोई पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, जो 31 मार्च 2025 या उससे पहले सेवानिवृत्त हो चुका है, निर्धारित प्रपत्र में KYC-दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकेगा।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि विनियम के अध्याय-II के अनुसार एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का विकल्प केन्द्र सरकार की सेवाओं में दिनांक 01 अप्रैल 2025 या उसके बाद शामिल नए भर्ती हुए कार्मिकों को होगा। यह विकल्प 01 अप्रैल 2025 से तीन महीने के भीतर या केन्द्र सरकार द्वारा यदि किसी विस्तारित समय सीमा की अनुमति दी जाती है, के भीतर होगा तथा एक बार चुना गया विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा।

अतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा-II) उत्तर प्रदेश, लखनऊ में कार्यरत एवं नवनियुक्त होने वाले अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा एनपीएस (NPS) से यूपीएस (UPS) में विकल्प का चयन अधिसूचना दिनांक 19 मार्च 2025 मे उपलब्ध प्रावधानों के अंतर्गत किया जा सकता है।

Office Order

As per the notification issued by the Pension Fund Regulatory and Development Authority, as published in the Gazette of India (Part-III, Section-4) dated: 19 March 2025, Regulations governing the Integrated Pension Scheme under the National Pension System, 2025 have been notified. This scheme is an option for Central Government employees covered under the National Pension System (NPS) by the Central Government. Detailed details are available on the website-npsera.nsdl.co.in. This scheme is effective from 01 April 2025. A brief description of the scheme is given below-

1.(i) An existing Central Government employee in service as on 1st April 2025, who is covered under NPS, in terms of sub-section (1) of section 20 of the Act;

(ii) A new recruit in the Central Government services, who joins service on or after the 1st day of April 2025;

(iii) (a) A Central Government employee who was covered under NPS and who has superannuated or voluntarily retired or has retired under Fundamental Rules 56(j) (which is not treated as penalty under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, on or before 31 March 2025; or

(b) the legally wedded spouse in case of a subscriber who has superannuated or retired and has demised prior to exercising the option for UPS.

2(i) The exercise of option in respect of an eligible employee to be covered under UPS shall be undertaken: -

(a) within three months from 1st April 2025, or within such extended timelines if any, allowed by the Central Government, in respect of a person mentioned under clause (i) and clause (iii) of sub-regulation (1); and

(b) within thirty days, from the date of joining Central Government services or within such extended timelines, if any, allowed by the Central Government, in respect of a person mentioned under sub-clause (ii) of sub-regulation (1)

2(ii) **The option once exercised shall be final and irrevocable.**

3. **For exercise of option and enrollment under UPS:-**

(a) A Central Government employee in service as on 1st April 2025, who is subscribed to NPS shall submit an application to the concerned Drawing and Disbursing Officer (DDO) in Form A2 of Schedule I to enroll in UPS option under NPS in accordance with these regulations:

(b) In case of a new recruit to the Central Government services joining on or after 1 April 2025, the existing process of enrolment under NPS shall continue. In case such new recruit chooses the UPS option under NPS, such person shall submit an application to the concerned DDO in Form A1 of *Schedule* I, to enroll in UPS option under NPS in accordance with these regulations;

(c) Any eligible Central Government employee, who has retired on or before 31 March 2025, can apply in the prescribed form along with KYC documents.

It is clear from the above details that as per Chapter-II of the Regulation, the option to avail the benefits under the Unified Pension Scheme will be available to the newly recruited personnel joining the Central Government services on or after 01 April 2025. **This option will be within three months from 01 April 2025 or within any extended time limit allowed by the Central Government and the option once chosen will be final and irrevocable.**

Therefore, the newly appointed officers/employees working in the office of Principal Accountant General (Audit-II), Uttar Pradesh, Lucknow and the offices under the control of this office can choose the option from NPS to UPS under the provisions available in the notification dated 19 March 2025.

— हस्ता० —

वरिष्ठ उपमहालेखाकार/प्रशासन

पत्रांकः प्र.म.ले.(ले.प.-II)/प्रशा०/2025-26/Misc.100/e-330857/ITR-392 दिनांक- 13-05-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) उ.प्र., लखनऊ
2. समस्त वर्गाधिकारी, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) उ.प्र., लखनऊ
3. व.ले.प.अ./ सामान्य प्रशासन/ पी.सी./ हिन्दी अनुभाग/ AMG-II/ AMG-III/ AMG-IV (नियंत्रण)/ रिपोर्ट-PSU/ रिपोर्ट-Non-PSU/ रिपोर्ट-राजस्व/ आई.टी.ए./ विधिक प्रकोष्ठ/ DC&RA/NRA, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) उ.प्र., लखनऊ
4. व.ले.प.अ./ आई.टी.सेल को इस आशय के साथ प्रेषित कि कार्यालय-आदेश की एक प्रति Office Website पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. सूचना पट्ट
6. गार्ड फाइल

Digitally signed by
Sunil Kumar Pandey
Date: 09-05-2025
12:35:39

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशासन